न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

रैफरेन्स संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 02 / 2025	07–01–2025	06–08–2025

1. राजस्थान सरकार जरिये :–तहसीलदार तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

(प्रार्थी)

बनाम

1. घासीराम पुत्र हीरासिंह जाति कुम्हार निवासी भांगरोला जिला गुडगांव (हरियाणा)
2. श्रीमती वीरमति पत्नी विरेन्द्र सिंह जाति कुम्हार निवासी भांगरोला जिला गुडगांव (हरियाणा)
3. श्रीमती शोभारानी पत्नी सुनिल कुमार जाति कुम्हार निवासी भांगरोला जिला गुडगांव (हरियाणा)
4. शीशराम पुत्र उदमीराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम उदयपुर तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

(अप्रार्थीयान)
रैफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82
राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1– विभागीय प्रतिनिधि
2– श्री जर्नादन शर्मा
3– श्री दिनेश यादव

उपस्थित
वकील अप्राथी संख्या 1 लगायत 3
वकील अप्राथी संख्या 4

––:: निर्णय ::––

तहसीलदार तिजारा द्वारा यह रेफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम उदयपुर तहसील तिजारा में स्थित आराजी खसरा न0 479 रकबा 0.58 है0, 474 / 583 रकबा 0.51 है0, 479 / 597 रकबा 0.43 है0, 480 रकबा 0.24 है0, अप्रार्थीगणो की खातेदारी में जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 में अंकित है। उक्त आराजीयात राजस्व रिकार्ड में गत खसरा नम्बरान 185 रकबा 0.07 बिस्वा, 186 रकबा 1.00 बीघा, 187 रकबा 0.04 बिस्वा, 188 रकबा 0.06 बिस्वा, 198 रकबा 0.12 बिस्वा, 189 रकबा 0.18 बिस्वा, 191 रकबा 0.19 बिस्वा वाके ग्राम उदयपुर बने है। ग्राम उदयपुर तहसील तिजारा में कान्हा पुत्र मल्हू साकिन उदयपुर को गत खसरा नम्बरान 181 रकबा 1.07 बीघा, 182 रकबा 1.19 बीघा, 183 रकबा 1.07 बीघा, 193 रकबा 1.03 बीधा, 184 रकबा 0.08 बिस्वा, 190 रकबा 1.16 बीघा, 191 रकबा 1.07 बीघा, 192 रकबा 2.11 बीघा, कुल रकबा 11.18 बिस्वा सम्वत 2015 में पटटा संख्या 70 के अनुसार एक वर्षीय पटटे पर आंवटित की गयी। जमाबन्दी संम्वत 2018 से 2021 में कान्हा पुत्र मल्लू पटटेदार अंकित है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा तैयार मिसल बन्दोबस्त 2029 में उक्त सभी खसरा नम्बरान के नये खसरा न0 बना सिवायचक में अंकित कर दिये गये। नामान्तकरण संख्या 37 से पूर्व कान्हा पुत्र मल्लू को गैरखातेदारी स्वीकृत की गयी, जिसका अंकन जमाबन्दी सम्वत 2035 में किया हुआ है। दिनाक 27.04.1982 की आदेशिका में मैनेजिंग ऑफिसर तहसीलदार तिजारा द्वारा आराजी खसरा न0 479 रकबा 1.14 बिघा, 480 रकबा 3.10 बीघा की सनद उक्त भूमि बिन्दू संख्या 3 में अंकित भूमि में से कान्हा द्वारा जहारिया पुत्र छोटा कुम्हार

को इकरारनामें के आधार पर दान की गयी। भूमि की सनद संख्या 343 दिनाक 30.09.1982 को जारी की गयी। जिसमें गत खसरा न0 182 रकबा 0.12 बिस्वा, 183 रकबा 0.08 बिस्वा, 191 रकबा 1.07 बीघा, 190 रकबा 1.04 बीघा, 192 रकबा 1.09 बीघा कुल रकबा 5.00 बीघा सनद में अंकित है। दिनाक 18.01.1983 की आदेशिका में मैनजिंग ऑफिसर तहसीलदार तिजारा ने 10 बीघा भूमि का पटटा उदमी पुत्र कान्हा को जारी करने के आदेश प्रदान किये, जिसमें पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट दिनाक 11.08.1981 को दी गयी, अर्थात पटटा संख्या 343 दिनाक 30.09.1982 को जारी होने से पूर्व की रिपोर्ट पर उदमीराम को सनद जारी की गयी, जो गलत है, चूँकि आंवटी कान्हा द्वारा पूर्व में ही आवंटित भूमि में से 5.00 बीघा भूमि जहारिया को दान दे दी गयी थी। कुल आंवटित भूमि में से जहारिया के सनद के बाद गत खसरा न0 181 रकबा 1.07 बिघा, 182 रक़बा 1.07 बीघा, 183 रकबा 1.19 बिस्वा, 193 रकबा 1.03 बीघा, 184 रकबा 0.08 बिस्वा, 190 रकबा 0.12 बिस्वा, 192 रकबा 1.02 बीघा कुल 6.18 बिस्वा कान्हा पुत्र मल्लू के पास सनद हेतु शेष बचती है। मैनजिंग ऑफिसर तहसीलदार तिजारा द्वारा अलोटी के पुत्र उदमीराम पुत्र कान्हा को सनद संख्या 553 दिनाक 18.01.1983 गत खसरा न0 181 रकबा 0.10 बिस्वा, 182 रकबा 0.19 बिस्वा, 183 रकबा 0.19 बिस्वा, 184 रकबा 0.08 बिस्वा, 185 रकबा 0.07 बिस्वा, 186 रकबा 0.06 बिस्वा, 186/2 रकबा 0.14 बिस्वा, 187 रकबा 0.18 बिस्वा, 188 रकबा 0.09 बिस्वा, 189 रकबा 0.18 बिस्वा, 191 रकबा 0.19 बिस्वा, 192 रकबा 0.18 बिस्वा, 193 रकबा 1.03 बीधा, 198 रकबा 0.12 बिस्वा कुल रकबा 10.00 बीधा जारी किया गया जिसका नामान्तकरण संख्या 123 स्वीकत शुदा है। बिन्दू संख्या 3 में आंवटित भूमि में से जहारिया को जारी सनद के बाद शेष बची भूमि के विपरीत प्रतिवादी संख्या 4 के पिता को निम्न भूमि ग्राम उदयपुर तहसील तिजारा में आंवटन के विपरीत सनद जारी की गयी जिनके गत खसरा न0 185/0.07, 186/1.00, 187/0.18, 188/0.09, 189/0.18, 191/0.19, 198/0.12, है, जिनके हाल आराजी खसरा न0 474/583 रकबा 0.34 है0, 379/597 रकबा 0.33 है0, 479 रकबा 0.18 है0, 480 रकबा 0.24 है0, बने जो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 की खातेदारी में अंकित है। बिन्दू संख्या 10 में वर्णित भूमि की खातेदारी सनदधारी उदमीराम पुत्र कान्हा को गलत तरीके से दी गयी है, जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीयान के नाम अंकित है। नियमो के परिपेक्ष्य में काबिल निरस्त है। वर्णित आराजीयात को अप्रार्थीगण की खातेदारी निरस्त कर सिवायचक घौषित की जावे।

रेफरेन्स प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्राथी संख्या 4 की ओर वकालतनामा पेश हुआ जो शामिल मिसल है, वक्त बहस उपस्थित नही हुये।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया गया जो शामिल मिसल है, विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से वक्त बहस निवेदन किया कि रेफरेनस प्रकरण में वर्णित आराजी कान्हा पुत्र मल्लू की कब्जे काश्त पटटेदारी की आराजी थी, बाद में कान्हा पुत्र मल्लू की खातेदारी में नियमानुसार दर्ज रिकार्ड हो गयी थी, जिस पर कान्हा पुत्र मल्लू काबिज रहकर काश्त करता था तथा मालिक आराजी था। यह कहना गलत है, कि एक साल की पटटेदारी में थी। आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक केवल राजस्व कर्मचारियो द्वारा गलती से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गयी थी, जो बाद में पुनः कान्हा पुत्र मुल्लू की खातेदारी में दर्ज कर दी गयी थी, कब्जा लगातार कान्हा पुत्र मल्लू का ही रहा था। आराजी मैनेजिंग ऑफिसर तहसीलदार तिजारा द्वारा आंवटी उदमी पुत्र कान्हा को दिनाक 18.01.1983 को 10 बीघा भूमि कीमतन आंवटन की गयी थी, जिसकी कीमत उदमी पुत्र कान्हा द्वारा जमा कोष करायी जाकर खातेदारी सनद प्राप्त की गयी, कान्हा पुत्र मल्लू को आंवटित आराजी से उदमी पुत्र कान्हा की आराजी का कोई सम्बध नही है, कान्हा पुत्र मल्लू की व उदमी पुत्र कान्हा को अलग–अलग भूमि आंवटन की गयी थी। तथा दोनो को आंवटित रकबा अलग–अलग है, जिसका एक दुसरे से कोई सम्बंध नही है। अर्थात कान्हा पुत्र मल्लू व उदमी पुत्र कान्हा को आंवटित रकबा अलग–अलग हैसियत से आंवटित हुआ है। कान्हा पुत्र मल्लू को रेफरेन्स के जिमन न0 1 में वर्णित हाल खसरा नम्बर आराजी अलोट हुई थी, जिसके गत खसरा न0 रेफरेन्स के जिमन न0 2 व 3 में वर्णित है। तथा उदमी पुत्र कान्हा को भिन्न आराजी की सनद पटटा प्राप्त किया है। चूँकि खसरा न0 का रकबा बडा होने के कारण मिन खसरा न0 अंकित किये गये है। कान्हा पुत्र मल्लू को 11 बीघा 18 बिस्वा आराजी अलग आवटित की गयी है, तथा उदमी पुत्र कान्हा को 10 बीघा आराजी अलग आवटित की गयी है। चूँकि दोनो परिवार अलग–अलग रहते थे, इस लिए दोनो को परिवार की आजीविका के लिए अलग–अलग भूमि आंवटन हुआ है। उदमी राम पुत्र कान्हा को सनद संख्या 553 दिनाक 18.01.1983 को जारी की गयी है, जिसका नामान्तकरण संख्या 123 खातेदारी का

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

उदमीराम पुत्र कान्हा के नाम स्वीकृत हुआ है, इस प्रकार उदमीराम पुत्र कान्हा नामान्तकरण संख्या 123 में दर्ज आराजी का खातेदार काश्तकार रहा है। जिसको बाद में उदमीराम पुत्र कान्हा की मृत्यू के उपरान्त उसके वारिसो के नाम विरसत का नामान्तकरण दर्ज हुआ है, तथा उदमीराम पुत्र कान्हा के वारिसान ने बाद में उक्त आवटित कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी का विक्रय मिन अप्रार्थीगण को किया गया है, तथा मिन अप्रार्थीगण के नाम से ही विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण दर्ज होकर मिन अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी मे अंकन है। मिन अप्रार्थीगण क्रेतागण काबिज काश्तकार है। रेफरेन्स गलत तथ्यो पर प्रस्तुत किया गया है। रेफरेनस का जिमन न0 10 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार वर्णित किये गये है, गलत है, जजारिया को जो सनद जारी की गयी थी वह कान्हा पुत्र मल्लू को आवंटित होगी, परन्तु उदमी राम पुत्र कान्हा को आंवटित रकबा आराजी अलग है। यह गलत है, कि बिन्दू संख्या 3 में आवटित भूमि में से जहारिया को जारी सनद के बाद शेष भूमि के विपरीत अप्रार्थी संख्या 4 के पिता को रिकार्ड के विपरित सनद जारी की गयी हो बल्कि अप्रार्थी संख्या 4 के पिता उदमीराम को आंवटित भूमि अलग है, तथा कान्हा पुत्र मल्लू को आवटित आराजी भी अलग है। मिन अप्रार्थीगण की खातेदारी में जो भूमि दर्ज हुई है, वो नियमानुसार सही दर्ज हुई है। रेफरेन्स के जिमन न0 11 में बयान किया गया है, गलत है स्वीकार नही है। उदमीराम पुत्र कान्हा को नियमानुसार आराजी आवटित की गयी है। कान्हा पुत्र मल्हा से विरासत में कोई आराजी उदमीराम को प्राप्त नही हुई है। उदमी राम को आंवटित आराजी कान्हा पुत्र मल्हा से अलग है। अप्रार्थीयान के नाम जो खातेदारी आराजी का अंकन हो रहा है, वो विधि अनुरूप है। रेफरेन्स प्रकरण गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है। रेफरेन्स प्रकरण में वर्णित भूमि रेफरेन्स किये जाने योग्य नही है, वर्णित भूमि न तो पहाड है, न ही गोचर भूमि है, तथा न ही शमशान की आराजी है, अर्थात धारा 16 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 में प्रतिबन्धित भूमि नही रही है। जिसका रेफरेन्स नही किया जा सकता है, रेफरेन्स प्रकरण खारिज किया जावे। मिन अप्रार्थीयान सदभावी क्रेता है, जिन्होने प्रतिफल विक्रेता को अदा कर उक्त भूमि को क्रंय किया है, जिस पर वर्तमान में हम अप्रार्थीयान काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। आरजी का मुताबिक बैयनामा के आधार पर नामान्तकरण दर्ज होकर राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज है। इस प्रकार रेफरेन्स प्रकरण रिकार्ड के विवरित विरोधाभाषी तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है। प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण की परिभाषा में नही आता है, अलग अलग अलोटमेन्ट को एक ही व्यक्ति का अलोटमेंन्ट मानकार भारी भूल की है। रेफरेन्स प्रकरण खारिज किया जावे। विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से अपने कथन की पुष्टि में माननीय न्यायालयो की निम्नलिखित नजीरे पेश की गयी, आर.आर.टी. 2014 (2) पेज संख्या 1005, आर.बी.जे. (31) 2024 पेज संख्या 762–767, आर.बी.जे (30) 2023 पेज संख्या 44–51

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया तहसीलदार तिजारा एव अप्रार्थीयान के द्वारा पेश जवाब दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तिजारा द्वारा यह रेफरेन्स प्रकरण बिन्दू संख्या 10 में वर्णित आराजीयात पर उदमीराम पुत्र कान्हा को जो गलत तरीके से दी गयी सनद क्रंमाक 553 दिनाक 18.01.1983 को निरस्त किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रकरण तैयार कर पेश किया गया है। विधिक प्रावधानानुसार रेफरेन्स प्रकरण न्यायालय के समक्ष केवल धारा 16 में वर्णित प्रतिबधित भूमियो पर समय–समय पर जारी आदेश/निर्णयो को निरस्त किये जाने हेतु पेश किये जाने का प्रावधान है, जबकि उक्त प्रकरण में वर्णित आराजी धारा 16 में प्रतिबंधित भूमियो की श्रेणी में नही आती है। प्रकरण में जारी सनद क्रंमाक 553 दिनाक 18.01.1983 को रेफरेन्स के माध्यम से निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है, जो न्यायोचित नही है। इस सद्रर्भ माननीय न्यायालयो द्वारा पूर्व में भी समय–समय पर निर्देश प्रदान किये हुऐ है, कि जिन प्रकरणो मे अपील किये जाने का प्रावधान है, उन प्रकरणो में अविलम्ब अपील की जावे तथा जिन प्रकरणो में अपील किये जाने का प्रावधान न होने की स्थिति में ही रेफरेन्स किये जाने चाहिये। तहसीलदार तिजारा द्वारा पेश रेफरेन्स प्रकरण रेफरेन्स का प्रकरण न होकर अपील का मामला है, प्रस्तुत प्रकरण में माननीय न्यायालयो की नजीरे कमशः आर.आर.टी. 2014 (2) पेज संख्या 1005, आर.बी.जे. (31) 2024 पेज संख्या 762–767, आर.बी.जे (30) 2023 पेज संख्या 44–51, राज्य बनाम मोती एंव लाडू 1982 आर.आर.डी पेज संख्या 298 से हम पूर्ण रूप से सहमत है। तहसीलदार तिजारा द्वारा यह रेफरेन्स प्रकरण उदमीराम पुत्र कान्हा को जारी सनद क्रंमाक 553 दिनाक 18.01.1983 को निरस्त किये जाने हेतु पेश किया गया है। यदि तहसीलदार तिजारा को आंवटन बाबत कोई आपत्ति है, तो उसके विरूद्व विधिक प्रावधानुसार/नियमानुसार 14(4) प्रार्थना पत्र/अपील सक्षम अधिकारिता वाले माननीय न्यायालय में पेश करना चाहिऐ था, न की रेफरेन्स द्वारा यहा यह भी

जिला कलक्टर

उल्लेखनिय है, कि यह रेफरेन्स प्रकरण भी 31 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है। जो न्यायोचित नही है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार तिजारा द्वारा पेश रेफरेन्स प्रकरण खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार तिजारा द्वारा पेश रेफरेन्स प्रकरण खारिज किया किया जाता है, तहसीलदार तिजारा को न्यायहित/राजहीत में निर्देशित किया जाता है, कि उक्त प्रकरण में विधिक प्रावधानानुसार/नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार तिजारा को भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
खैरथल-तिजारा (राज.)